

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस विभाग द्वारा जारी राजस्थान शिक्षा सेवा में प्रधानाचार्य-उमावि समकक्ष के निलम्बन से बहाली सम्बन्धी आदेशांक :: शिविरा/मा/विजांच/11127/आर-195/2012/747 दिनांक 09-11-2017 के द्वारा श्री रामकिशोर खाती, तत्कालीन विकास अधिकारी मालपुरा टोंक मूल पद प्रधानाचार्य-राउमावि को विभागीय जांच बकाया रखते हुए तत्काल प्रभाव से बहाल किया गया है। आदेशानुसार निलम्बन अवधि का निस्तारण विभागीय जांच के निर्णय के साथ किया जायेगा। विभाग के उक्त आदेश दिनांक 09-11-2017 की पालना में श्री रामकिशोर खाती को राजकीय आदर्श उमावि0, गुढा सेडवा जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि नव पदस्थापित स्थान राउमावि गुढा सेडवा जिला बाडमेर में तत्काल कार्यग्रहण किया जाकर, शाला दर्पण से सम्बन्धित आवश्यक प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें।



(नथमल डिडेल)

आई ए एस
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/एपीओ-पदस्थापन/2017 दिनांक : 13-11-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है :-

- 01- उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर।
- 02- सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 03- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा।
- 04- ऍनालिस्ट कम प्रोग्रामर कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाई पर अपलोड हेतु।
- 05- सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
- 06- प्रभाग-प्रभारी, प्रभाग ए-2.7 संस्थापन एबी अनुभाग कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
- 07- रक्षित पत्रावली/ गार्ड पंजिका हेतु।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर